न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मंण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा म0प्र0

R5467-III/16

रमेश सोनी पिता रामकुमार सोनी उम्र 54 साल निवासी नयागांव चित्रकूट,थाना सीतापुर तहसील कर्बी जिला चित्रकूट उ0प्र0

....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. रामबदन शुक्ला पिता अबधेश प्रसाद शुक्ला निवासी नयागांव चित्रकूट ,थाना व तहसील मझिगंवा जिला सतना म0प्र0
2. रामसजीवन अहिर उम्र 32 साल तनय भगवानदीन अहिर निवासी नवागांव,थाना मझिगंवा, तहसील मझिगंवा जिला सतना म0प्र0

..............................गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी बिरूद्ध तहसीलदार तहसील मझिगंवा का राजस्व प्रकरण क्रमांक 18ए12/15-16 रामबरण शुक्ला बनाम शासन म0प्र0 व रमेश सोनी के आदेश दिनांक 2.7.016 के बिरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं01959ई0

महोदस

// निगरानी के तथ्य//

बिनय है कि , स्थित ग्राम नवागांव ,प0ह0नवागांव,राजस्व निरीक्षक सर्किल चित्रकूट,तहसील मझिगवा जिला सतना की आराजीनम्बर 892/6/ख/12 /1 /क जरिये रजिसटर्ड बिक्रय पत्र निगरानीकर्ता मालिक स्वामी है,जो गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 से रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र दिनांक 23 अगस्त 2012 को खरीदकर मौका काबिज काश्त चला आ रहा था जिसे गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 ने एक धारा 129 म0प्र0भू0रा0सं0का

(151)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5467-II/16 जिला सतना

रमेश आदि विरूद्ध रामबदन शुक्ला

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रवेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	